

दिनांक

आज्ञा पत्र

24.3.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आछ
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व
आज्ञानसार दिनांक 12.4.22 को पेश हो

13.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठारक्षीन अधिकारी महोदय आज 13.4.22
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 26.5.22
को पेश हो।

26.5.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठारक्षीन अधिकारी महोदय आज 26.5.22
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.6.22
को पेश हो।

29.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठारक्षीन अधिकारी महोदय आज 29.6.22
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.7.22
को पेश हो।

28.7.22

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलाट ने रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्डुनु)

